

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20 रुल्स 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत
बईजलास:- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
:- श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

-: वादी :-

बनाम

-: प्रतिवादी :-

1. रामसिंह पुत्र किशनाराम जी जाति
सीखी निवासी गरनिया तहसील
जैतारण जिला ब्यावर राजस्थानतहसीलदार एवं उपपंजीयन
अधिकारी महोदय जैतारण जिला
ब्यावर राजस्थान


मु0न0 :रा0वा0स0- 83/2023

राजस्व वाद बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम गरनिया पटवार हल्का गरनिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बैडकलां तहसील जैतारण मे खसरा नम्बर 145/1 रकबा 4.0469 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 145/4 रकबा 4.0469 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 176 रकबा 23.9574 हेक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 177 रकबा 0.5423 हैक्टेयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नम्बर 78 रकबा 8.5308 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 179 रकबा 11.8168 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम के भू-अभिलेख में दर्ज प्रविष्टी "जगदीश पुत्र किशना" के स्थान पर "रामसिंह पुत्र किशनाराम" दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।
बसिब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 28.08.2025 को जारी किया गया।

मोहर



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
(फास्ट ट्रेक) जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुद्धई	रुपये	पैसे	मुद्धायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00		स्टाम्प वकालतनामा	0.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	0.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	2.00		फीस कमीशनर	0.00	
फीस कमीशनर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	5.00		मिजान:-	0.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।